राजस्व वाद संख्याः–88 / 2023
कैसरी बनाम कैसर कमोद वगै0
निर्णय दिनांकः– 18.07.2025

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू**

**श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)**

**पीठासीन अधिकारीः–**

मु0नं0 88/ 2025

01. श्रीमती केसरी पत्नी बजरंगलाल, आयु 78 वर्ष, जाति जाट, निवासी तोलासेही, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
02. नरेन्द्र कुमार पुत्र बजरंगलाल, आयु 49 वर्ष, जाति जाट, निवासी तोलासेही, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
03. पुष्पेन्द्र पुत्र बजरंगलाल, आयु 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी तोलासेही, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)

आवेदकगण

बनाम

01. केसर कमोद पुत्र जयकरण, आयु 55 वर्ष, जाति जाट, निवासी तोलासेही, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
02. महावीर पुत्र जयकरण, आयु 67 वर्ष, जाति जाट, निवासी तोलासेही. तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
03. हीरालाल पुत्र जयकरण, आयु 72 वर्ष जाति जाट, निवासी तोलासेही, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
04. होशियार सिंह पुत्र जयकरण, आयु 69 वर्ष, जाति जाट, निवासी तोलासेही, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
05. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
06. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बैंक शाखा चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं (राज०) जरिये शाखा प्रबंधक।

अनावेदकगण

**प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**निर्णय**

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 304 रकबा 1.13 हैक्टर ग्राम तोलासेही, पटवार हल्का स्वामी सेही में स्थित है, जिस पर हम काबिज काश्त है एवं जिसमें पहुंचने के प्रयोजन के लिए प्रार्थीगण / आवेदकगण के आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए प्रार्थीगण उक्त प्रयोजन के लिए खसरा नम्बर 303 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे से नजरी नक्शे मे दर्शित ए से बी 15 फुट चौड़ाई का नया मार्ग खोलने का आशय रखते है। जमीन ग्राम तोलासेही में आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 304 रकबा 1.13 हैक्टर ग्राम तोलासेही, पटवार हल्का स्वामी सेही में स्थित है जिसमें आने व जाने का रास्ता नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 303 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे से 15 फुट का नया मार्ग दिया जाना है जो कि सबसे कम दूरी पर स्थित है। आवेदन पत्र के साथ पेश नजरी नक्शे मे प्रस्तावित रास्ते को मार्क ए से बी दर्शाया गया है। नजरी नक्शा आवेदन पत्र का भाग है, जिसको आवेदन पत्र के साथ पढ़ा जावे। कृषि खसरा नम्बर 303 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे से 15 फुट का नया मार्ग दिया जाना है जो कि सबसे कम दूरी पर स्थित है।

यह कि आवेदकगण की ग्राम तोलासेही ने अन्य भूमियों के अलावा भूमि खसरा नम्बर 304 रकबा 1.13 हैक्टर स्थित है जिसमें आवेदकगण ने पुख्ता मकानात बना रखे है एवं रिहायश करते है तथा इसी भूमि में आवेदकगण ने एक कुआं बना रखा है जिसमें विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है एवं उक्त विद्युत कनेक्शन लेकर कुएं से सिचाई करके आवेदकगण अपना व अपने परिवार का पेट पालते है।

यह कि आवेदकगण के उक्त खेत खसरा नम्बर 304 में आने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है और आवेदकगण के खेत में आवागमन करने के लिए सबसे उर्पयुक्त रास्ता स्वामी सेही से किढवाना जाने

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:- 88 / 2023
केसरी बनाम केसर कमोद वगै0
निर्णय दिनांक:- 18.07.2025

वाली डामर की पुख्ता रोड़ से खेत खसरा नम्बर 303 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे से होकर है, इसके अलावा आवेदकगण के खेत में आने के लिए कोई नजदीकी रास्ता नहीं है। इसलिए आवेदकगण को अपने खेत खसरा नम्बर 304 में आने व जाने के लिए तथा कृषि भूमि को काश्त करवाने के लिए वाहन ट्रेक्टर, ऊंटगाड़ी इत्यादि को लाने व ले जाने के लिए 15 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है।

यह कि आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर 304 मे आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता ना तो कभी पहले रहा है एवं ना ही अब वर्तमान मे है।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदन पत्र को मन्जूर फरमाया जाकर आवेदकगण के खेत मे आवागमन करने के लिए ग्राम किढवाना जाने वाली डामर सड़क से हाल खसरा नम्बर 303 सरहद की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे 15 फुट चौडाई का रास्ता हाल खसरा नम्बर 304 दक्षिणी पूर्वी सीमा एक नजरी नक्शे में अंकित ए से बी कायम किया जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 की और से श्री विरेन्द्र कुमार एड0 ने वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी संख्या 01,3, 4 की और से आपत्ति प्रार्थना पत्र, जवाब पेश किया गया। तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

**बहस सुनी गई**

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक राजस्व/2023/710 दिनांक 17.10.2023 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कटानी कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात अप्रार्थीगण के आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारीज कर तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2023/710 दिनांक 17.10.2023 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 304 मौजा तोलासेही में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 303 में से बिन्दु ए से बी तक कुल दुरी 92 मीटर लंबाई एवं 04 मीटर चौडाई कुल रकबा 368 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 92 मीटर चौडाई 04 मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

**<u>आदेश</u>**

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2023/710 दिनांक 17.10.2023 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 304 मौजा तोलासेही में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 303 में से बिन्दु ए से बी तक कुल दुरी 92 मीटर लंबाई एवं 04 मीटर चौडाई कुल रकबा 368 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 92 मीटर चौडाई 04 मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भूमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ